न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 1/2020
प्रविष्टि दिनांक 1—1—2020

मेधराज उर्फ प्रधान पुत्र रामनारायण मीणा निवासी ग्राम—सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार उप तहसील बनेठा जिला— टोक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 10—12—2019 पत्रावली सं0 1782/2019

उपस्थिति : (1) श्री लादूलाल यादव अपीलान्ट
(2) श्री सै0 मजहर आलम ,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 20—1—2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 10—12—2019 के द्वारा अपीलान्ट को चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1310 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम सुरेली पर मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 8/रूपये की पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में [illegible] दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार बनेठा द्वा[illegible] पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई औ[illegible] किया गया। अपीलान्ट को पूर्व में नोटिस जारी किया गया था जिसकी प्राप्ति पर [illegible] अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित हो चुका था [illegible] तिथि दिनांक 8—11—2019 को न्यायालय के अधीनस्थ कर्मचारी ने अपीलान्ट से [illegible] कि अभी नायब तहसीलदार साहब नहीं है अभी महुरो को खोलने एंव अन्य राजकार्य चल रहे हैं जिसमे

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

नायब तहसीलदार व्यस्थ्त है ,जैसे ही वह आयेंगे हम आपको सूचित कर देगे। जिस पर अपीलान्ट वापस आ गया जिसके उपरान्त कभी भी किसी प्रकार का नोटिस अपीलान्ट को उपस्थित होने हेतु जारी नही किया गया। ओर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के खिलाफ एकपक्षीय निर्णय पारित किया है हो निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में गलती की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपीलान्ट को सर्वप्रथम निर्णय की जानकारी दिनांक 17–12–2019 को प्राप्त हुई, जिस पर उसी दिन नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पेश कर दिनांक 18–12–2019 को अपील पूर्ण न्यायशुल्क पर पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 10–12–2019 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1310 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम सुरेली तह0 उनियारा मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया था किन्तु अपीलान्ट बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की चरागाह भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1310 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम सुरेली पर मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है ओर वह अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा का निर्णय दिनांक 10–12–2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–1–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)